



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13862-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 332/2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रधान सचिव, उद्यान विभाग, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रधान सचिव, उद्यान विभाग, लखनऊ एवं 2 अन्य अपीलकर्ता

बनाम

सुख दास एवं 6 अन्य प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मोहम्मद अतीक खान

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

यह अपील रिट-ए संख्या 2698/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया है और अपीलकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्यर्थीगण को उसी कार्य को करने वाले समान रूप से स्थित नियमित कर्मचारियों को दिए जा रहे न्यूनतम वेतनमान का भुगतान करें।

अपील 402 दिनों से वर्जित है।

अधीक्षक, राजकीय उद्यान, रामपुर के शपथ पत्र द्वारा समर्थित, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत दिया गया है कि दिनांक 09.05.2024 को निर्णय पारित होने के बाद, इसे निदेशालय को प्रेषित किया गया था। जिसके बाद, दिनांक 17.05.2024 और 25.10.2024 को कानूनी राय प्राप्त करने के लिए निदेशालय को पत्र लिखे गए, जिसके आधार पर जिला उद्यान अधिकारी, रामपुर ने दिनांक 29.10.2024 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से कानूनी राय मांगी, जिन्होंने दिनांक 29.11.2024 को अपनी राय दी। इसे दिनांक 13.12.2024 को निदेशालय को संदर्भित किया गया, जिसने बदले में अपील दायर करने की अनुमति के लिए विधि विभाग को दिनांक 11.04.2025 को राय भेजी, जिसकी अनुमति दिनांक 01.05.2025 को प्रदान की गई। इसके बाद मामला अपील तैयार करने के लिए आवंटित किया गया और यह दावा किया गया है कि अपील जुलाई, 2025 के महीने में दायर की गई थी।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



यह तर्क दिया गया है कि गुण-दोष वाले मामलों को तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

दायर किए गए शपथ पत्र का अवलोकन स्पष्ट रूप से न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने और अनुपालन के लिए विशिष्ट समयबद्ध निर्देश दिए जाने के बाद मामलों को निपटाने में अपीलकर्ताओं के लापरवाह और उपेक्षापूर्ण रवैये को दर्शाता है। अनुपालन सुनिश्चित करने और/या समय पर आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के बजाय, वास्तव में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

जैसा कि देखा जाएगा, आदेश दिनांक 09.05.2024 को पारित किया गया था, दिनांक 29.10.2024 तक कानूनी राय भी नहीं मांगी गई थी और एक बार जब दिनांक 29.11.2024 को राय दे दी गई, तो राज्य सरकार से अनुमति केवल 11.04.2025 को मांगी गई और दिनांक 01.05.2025 को अनुमति मिलने के बाद, अपील 06.08.2025 को दायर की गई है। आदेश पारित होने की तिथि, कानूनी राय मांगने, अपील दायर करने की अनुमति मांगने और उसके बाद अपील दायर करने के बीच का लंबा अंतराल पूरी तरह से अस्पष्ट बना हुआ है। स्पष्ट रूप से, एक औपचारिकता के रूप में, विलंब क्षमा करने के प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र दायर किए जा रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पोस्टमास्टर जनरल व अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड व अन्य : (2012) 3 एससीसी 563 में, राज्य की ओर से उसकी एजेंसियों और सरकारी निकायों द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अवलोकन किया था: "29. हमारी राय में, यह सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और प्रणालियों को सूचित करने का सही समय है कि जब तक उनके पास विलंब के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण न हो और वास्तविक प्रयास न किया गया हो, तब तक इस सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्रक्रियात्मक लालफीताशाही के कारण फाइल कई महीनों/वर्षों तक लंबित रही। सरकारी विभाग अपने कर्तव्यों को तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए एक विशेष दायित्व के अधीन हैं। विलंब को क्षमा करना एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को समान दृष्टि से संरक्षण देता है और इसे कुछ लोगों के लाभ के लिए नहीं घुमाया जाना चाहिए।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विभाग द्वारा विभिन्न तिथियों का उल्लेख करने के अलावा विलंब के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, हमारे अनुसार, विभाग इतने बड़े विलंब को क्षमा करने के लिए पर्याप्त और स्वीकार्य कारण देने में पूरी तरह विफल रहा है। तदनुसार, अपीलों विलंब के आधार पर खारिज होने योग्य हैं।"

उक्त निर्णय का अनुसरण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम अक्षय ज्वैल्स : सिविल अपील संख्या 4486/2022, निर्णित 03.08.2023 में किया गया था।

हाल ही में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिवम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड व अन्य : सिविल अपील संख्या 11794/2025, निर्णित 12.09.2025 में, इस विषय पर संपूर्ण कानून का विश्लेषण करने के बाद निम्नानुसार अवलोकन किया: "262. उच्च न्यायालयों को राज्य अधिकारियों या उनकी प्रणालियों के ऐसे उदासीन रवैये को वैध प्रभाव नहीं देना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चाहिए, और यदि विलंब क्षमा करने की मांग करने वाला पक्ष राज्य-प्राधिकारी है, तो उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। उन्हें राज्य की शिथिलता और सुस्ती का विकल्प नहीं बनना चाहिए। संवैधानिक न्यायालयों को एक निजी वादी की उदासीनता और पीड़ा के प्रति जागरूक होना चाहिए। वादियों को निरंतर मुकदमों की ऐसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता, जहाँ उनकी डिग्री या अनुकूल आदेशों के फल बाद के चरणों में विफल हो जाएं। हमें इस सतत प्रवृत्ति को दोहराते हुए पीड़ा हो रही है, और हम सभी उच्च न्यायालयों को सूचित करते हैं कि वे अत्यधिक विलंब वाले मामलों को तब तक न खोलें जब तक कि पर्याप्त कारण न हो, क्योंकि ऐसा करने से न्यायालय केवल जख्मों पर नमक छिड़कने का कार्य करते हैं, विशेष रूप से सीपीसी की धारा 100 के तहत अपीलों में, जहाँ उनका अधिकार क्षेत्र पहले से ही कानून के प्रश्नों तक सीमित है।

परिसीमा की अवधि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि वाद की समाप्ति का एक व्यापक दायरा बना रहे। न्यायिक समय के महत्व से अधिक, हमें सीमित संसाधनों वाले उस वादी की दुर्दशा की चिंता है, जिसे एक विशाल राज्य और उसके विस्तृत तथा कभी न खत्म होने वाले तामझाम के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। ऐसे मुकदमों को शुरुआत में ही निस्तारित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि, यदि राज्य के विरुद्ध मुकदमा लड़ने वाला पक्ष, किसी भी कारण से, अपील में विलंब की मांगी का विरोध करने में असमर्थ है, तो वर्तमान मामले के विपरीत, यह मुकदमेबाजी के एक और दौर को जन्म देता है, और ऐसे वादी को फिर से असहाय छोड़ देता है। अंतरात्मा के न्यायालयों के रूप में, यह हमारा दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि एक वादी को न्याय पाने के लिए दर-दर न थकना पड़े।

किसी भी वादी को इतना सुस्त और उदासीन होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और न्यायालयों द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।"

इसे देखते हुए, हम अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपील भी खारिज की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

राकेश/ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"